न्यायालयः राकेश कुमार तृतीय
अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, सुपौल
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या– 699 / 2026
सुपौल थाना कांड सं0– 1194 / 2022

01/06/26	**1. मो0 सलीम पे0 मो0 नईम** **2. मो0 नईम उर्फ नईमुद्दीन पे0 मो0 रसूल** **3. आईशा खातुन पति मो0 सलीम** **4. कोरेसा खातुन पे0 मो0 सलीम** **सभी सा0 नूनूपट्टी, वार्ड नं0 1, थाना व जिला–सुपौल.....आवेदकगण** **बनाम्** **बिहार सरकार.....विपक्षी** --- प्रार्थी अभियुक्तगण 1. मो0 सलीम 2. मो0 नईम उर्फ नईमुद्दीन 3. आईशा खातुन एवं 4. कोरेसा खातुन की ओर से सुपौल थाना कांड संख्या– 1194 / 2022 में अपनी गिरफ्तारी की आशंका दिखाते हुए दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को प्रचालित करते हुए उनके विद्वान अधिवक्ता श्री शीलभद्र कुमार सिंह द्वारा निवेदन किया गया है कि प्रार्थी अभियुक्तगण बिल्कुल निर्दोष हैं तथा उन्होंने कोई अपराध नहीं किया गया है। प्रार्थी अभियुक्तगण की ओर से इस अग्रिम जमानत आवेदन से पूर्व अन्य कोई अग्रिम जमानत आवेदन किसी भी न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। प्रार्थी अभियुक्तगण को ग्रामीण गंदी राजनीति के तहत् गलत ढंग से झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी अभियुक्तगण के विरुद्ध चोरी एवं मारपीट का आरोप मुकदमा को गंभीर बनाने के लिए लगाया गया है। प्रार्थी अभियुक्तगण का कहना है कि सूचिका उनके पड़ोसी है तथा ग्रामीण राजनीति के तहत् उनपर झूठा मुकदमा किया गया है। प्रार्थी अभियुक्त सं0 3 आईसा खातुन के द्वारा प्रस्तुत कांड के सूचिका एवं उनके परिवार के सदस्य के विरुद्ध सुपौल थाना कांड सं0 1207 / 2022 दाखिल किया गया है। प्रार्थी अभियुक्तगण धारा 482(2) बी0एन0एस0एस0 की शर्तों को मानने तथा सक्षम जमानतदार देने को तैयार हैं। अतः विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का निवेदन करते है। विद्वान लोक अभियोजक मो0 अबु जफ़र द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कथन किया गया कि प्रार्थी अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाया गया आरोप गंभीर प्रकृति का है। अतः उन्हें अग्रिम जमानत पर मुक्त करना न्यायोचित नहीं है। प्रस्तुत वाद सूचिका अजमुन निसा के लिखित आवेदन के आधार पर प्रार्थी अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 341, 323, 324, 307, 379, 34 भा0न्या0सं0 के अंतर्गत दर्ज किया गया है। संक्षेप में सूचिका का कथन है कि दिनांक 22 / 12 / 22 को शाम के लब बजे उनके दरवाजा पर से दस किलो का खस्सी कीमत 5000 / – मो0 सलीम चूरा कर ले जा रहा था वह अपने आंगन से बाहर निकलकर हल्लया की और कही खस्सी क्यों ले जा रहे हो उसी बात पर उसकी पत्नी ऐसा खातुन पति मो0 सलीम जान मारने के नीयत से रॉड से सिर पर मारा वह बेहोश होकर जमीन पर गीर गयी। उसी क्रम में मो0 सलीम नाक पर से आठ आना भरी का नथीया कीमत 2500 / – रूपया का छीन लिया। हल्ला पर उनका लड़का मो0 साजीद उसे बचाने आया तो उसके जेब से 50,000 / – रूपया तथा एक मोबाईल कीमत 32000 / – रूपया मो0 नईम छीन लिया तथा लप्पड़ थप्पड़ से मारा जब उसे बचाने उसकी पुतोहू रबीन खातून आयी तो उसके गले से 10 भरी का टकछड़ कीमत 5000 / – रूपया कोरेसा प्रवीन छीन ली। हल्ला होने पर गांव के लोग आकर सूचिका को सुपौल अस्पताल में भर्ती किया।	**लगातार**

न्यायालयः राकेश कुमार तृतीय
अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, सुपौल
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या– 699 / 2026
सुपौल थाना कांड सं0– 1194 / 2022

01/06/26 **लगातार**	सुना व अभिलेख एवं कांड दैनिकी का अवलोकन किया। प्रस्तुत वाद सूचिका द्वारा प्रार्थी अभियुक्तों पर गाली–गलौज, मारपीट कर जख्मी करने एवं रूपया, जेवर, मोबाईल एवं अन्य कीमती सामान चोरी करने के आरोप में दर्ज कराया गया है। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रार्थी अभियुक्तगण प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त हैं। कांड दैनिकी के कंडिका 7 में साक्षी मो0 तालिब का बयान है जिससे स्पष्ट होता है कि सूचिका का खस्सी को प्रार्थी अभियुक्त मो0 सलीम द्वारा ले जाने के क्रम में गाली गलौज एवं मारपीट की घटना हुई थी। अनुसंधान के क्रम में कांड दैनिकी के कंडिका 12 में पुलिस निरीक्षक सुपौल का संयुक्त समीक्षात्मक टिप्पणी अंकित है जिसमें प्रार्थी अभियुक्तों के विरुद्ध चोरी के आरोप को सत्य / पुष्टि नहीं होना पाया गया है। कांड दैनिकी के कंडिका 92 में जख्मी / सूचिका का जख्म प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि उनको कारित जख्म साधारण प्रकृति का है तथा सी0टी0 स्कैन का रिपोर्ट नार्मल स्टडी पाया गया है। अभिलेख अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि उभय पक्ष आपस में पड़ोसी है तथा सूचिका का खस्सी ले जाने को लेकर पक्षकारों के गाली–गलौज एवं मारपीट की घटना हुई थी। कांड दैनिक के कंडिका 97 में प्रार्थी अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं बताया गया है एवं पक्षकारों के बीच पलटा मुकदमा भी दर्ज है। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में प्रार्थी अभियुक्तगण 1. मो0 सलीम 2. मो0 नईम उर्फ नईमुद्दीन 3. आईशा खातुन एवं 4. कोरेसा खातुन की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन **स्वीकृत** किया जाता है तथा प्रार्थी अभियुक्तगण की गिरफ्तारी या 30 दिनों के अंदर आत्मसमर्पण करने कि स्थिति में निम्न न्यायालय अभियुक्तगण को मो0 10,000 रूपये के समान राशि के दो–दो जमानतदारों के साथ बंधपत्र देने पर धारा 482(2) बी0एन0एस0एस0 के शर्तों के अधिन अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का आदेश इस शर्त के साथ दिया जाता है किः– 1. प्रार्थी अभियुक्तगण का एक–एक जमानतदार उसके माता / पिता / नजदीकी रिस्तेदार होंगे। 2. प्रार्थी अभियुक्तगण के द्वारा यह कथन किया गया है कि उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। विद्वान न्यायालय को यह निर्देश दिया जाता है कि अभियुक्तगण को बंध पत्र पर मुक्त करने के पश्चात् प्रार्थी अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास का सत्यापन करा लेंगे एवं प्रार्थी अभियुक्तगण का यदि कोई आपराधिक इतिहास पाया जाता है तो विद्वान न्यायालय प्रार्थी अभियुक्तगण का बंधपत्र खंडित करने के लिए स्वतंत्र होंगे। 3. प्रार्थी अभियुक्तगण बंधपत्र दाखिल करते वक्त विद्वान निम्न न्यायालय में इस आशय का वचनबद्धता दाखिल करेगा कि वह भविष्य में इस तरह के अपराध में संलिप्त नहीं रहेगा, यदि पाया गया तो विद्वान निम्न न्यायालय उसका बंधपत्र खंडित करने के लिए स्वतंत्र होंगे। 4. प्रार्थी अभियुक्तगण वाद के विचारण में सहयोग करेंगे। लेखापित (राकेश कुमार–तृतीय) अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय सुपौल	